न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 86/2011 (बांसवाड़ा डिक्री)

देवा पिता स्वर्गीय विठला भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मृतका श्रीमती रूपली पत्नी श्री देवा भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा के बजाय :–

1/1. श्रीमती तेजी पुत्री खातू पत्नी कान्ति, जाति भील, निवासी बारी डायलाब, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. श्रीमती संसर पुत्री खातू पत्नी मणिया, जाति भील, निवासी झुपेल, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. श्रीमती कस्तूरी बेवा स्वर्गीय नाथू भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. रमण पिता स्वर्गीय नाथू भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. वालु पिता स्वर्गीय नाथू भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. श्रीमती दुर्गा पत्नी प्रभू पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी नालझमरगढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. श्रीमती चौखली पत्नी नारायण पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी जानामेडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. श्रीमती भुरकी पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी वहीबुडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी पीपलोद, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. भूमिधारी तहसीलदार, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 87/2011 (बांसवाड़ा डिक्री)

देवा पिता स्वर्गीय विठला भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मृतका श्रीमती रूपली पत्नी श्री देवा भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा के बजाय :–

1/1. श्रीमती तेजी पुत्री खातू पत्नी कान्ति, जाति भील, निवासी बारी डायलाब, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. श्रीमती संसर पुत्री खातू पत्नी मणिया, जाति भील, निवासी झुपेल, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. श्रीमती कस्तूरी बेवा स्वर्गीय नाथू भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. रमण पिता स्वर्गीय नाथू भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. वालु पिता स्वर्गीय नाथू भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. श्रीमती दुर्गा पत्नी प्रभू पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी नालझमरगढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. श्रीमती चौखली पत्नी नारायण पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी जानामेडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. श्रीमती भुरकी पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी वहीबुडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय नाथू भील, निवासी पीपलोद, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. भूमिधारी तहसीलदार, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰–1955 विरूद्ध उपखण्ड
अधिकारी, बांसवाड़ा प्र.सं. 34/2006
प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18-03-2011
व अंतिम डिक्री दिनांक 30-03-2011

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री अब्दुल रज्जाक वकील अपीलान्ट
2. श्री यशपाल गुप्ता अभि. रे. सं. 1/1
3. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभि. रे. सं. 2, 3
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 9

———::———

निर्णय दिनांक 05–09–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में मृतका रूपली रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट देवा तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 के पूर्वज नाथू व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादिया व प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1110/741/13 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम घलकिया में स्थित है, जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है तथा दक्षिण में सड़क वाली भूमि पर पिछले 30 वर्षा से मेरा टापरा बना हुआ है। अतएवं उक्त भूमि का विधिवत विभाजन किया जाकर उचित विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 देवा की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया संयुक्त खातेदार जरूर है, पर उसका 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं है, न ही वादिया का टापरा बना हुआ है। वादिया का 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा नहीं है, ऐसी स्थिति में वह बंटवाड़ा कराने की अधिकारी नहीं है। वादिया ने अपने पति की मृत्यु के बाद देवरवटा कर लिया था तथा वैसे भी उसका 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा नहीं है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की :–

1. आया वाद चरण संख्या 1 में खसरा नंबर 1110/741/13 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम घलकिया तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित होकर वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादिया 1/2 व प्रतिवादीगण 1/2 भाग पाने के अधिकारी हैं ? ..... वादिया
2. प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा करने से इन्कार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है ? ..... वादिया
3. आया वादिया का मौके पर कब्जा न होने से बंटवारा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है ? ..... प्रतिवादी संख्या 1 व 2
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर साक्ष्य सबूत के आधार पर दिनांक 18–03–2011 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 03–05–2011 को प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय अपील संख्या 86/2011 के रूप में पंजीबद्ध की गयी। इसी प्रकार प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30–03–2011 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03–05–2011 को प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय अपील संख्या 87/2011 के रूप में पंजीबद्ध की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण संख्या 34/2006 के प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 86/2011 प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसे हम आगे प्रथम अपील के नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 87/2011 प्रस्तुत की गयी है, जिसे हम आगे द्वितीय अपील के नाम से संबोधित करेंगे। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान व विषय वस्तु समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 34/2006 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध उक्त अपीलें प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दौराने कार्यवाही वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रूपली का निधन होने के बाद उसके कायम मुकाम रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 संस्थित किये गये, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा अपने न्यायिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए संशोधित शीर्षक पेश किया है।

सर्वप्रथम हम प्रथम अपील संख्या 86/2011 पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने 4 वाद बिन्दुओं की रचना की, परन्तु तीन वाद बिन्दुओं पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को प्रभावी माना है, जबकि पक्षकारा अनुसूचित जनजाति के होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं केवल पुराने कानून ही लागू होते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी विधवा द्वारा का unchastity आचरण किया जाता है या पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो उसे अपने पति की जायदाद में किसी भी तरह के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस मामले में रूपली अपने पति खातू के देहान्त के बाद unchastity दर्शायी, वह खातू की विधवा बनकर नहीं रही, बल्कि उसने अपने देवर अपीलार्थी देवा से नाता विवाह कर लिया। इसलिए ऐसी विधवा को पुराने हिन्दू कानून के अनुसार कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। श्रीमती रूपली ने देवा से विवाह कर लिया इसलिए वर्तमान में उसका स्टेटस खातू की बेवा का न होकर देवा की धर्मपत्नी का है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसे खातू की बेवा मानकर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी पेश की गयी है तथा उसके साथ न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 2014 छत्तीसगढ़ पेज 110, आर.आर.डी. 1981 पेज 361, आर.आर.डी. 1988 पेज 61, आर.आर.डी. 1989 पेज 284 एवं आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 61 प्रस्तुत किये है, जिसमें अनुसूचित जनजति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार नहीं लागू होने का वर्णन किया गया है।

→ हमारे द्वारा इस प्रथम अपील के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न

उजरात एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात का पिथ एण्ड संस्थान में सिर्फ यह विवेचन किया जाना उल्लेखनीय है कि वादिया रेकार्डेड सहखातेदार है तथा बंटवाड़े की अधिकारी है अथवा नहीं तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट का कथन कि वादिया का कब्जा नहीं होना तथा देवर से शादी करने के कारण वादिया को अधिकारी नहीं होने का कथन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हालांकि अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, परन्तु किसी पत्नी का इस समुदाय में उत्तराधिकार नहीं होता हो, इस बाबत् कोई विरोधाभाषी परम्परा उपलब्ध नहीं है। वादिया/रेस्पोन्डेन्ट सुस्पष्ट रूप से रेकार्डेड सहखातेदार होकर खातू की पत्नी रही है तथा खातू की पत्नी होने के बाद उसके द्वारा देवरवटा किया गया हो अथवा देवर से शादी की गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। सुस्पष्ट रूप से वादिया खातू की पत्नी होने के कारण रेकार्ड सहखातेदार के रूप में प्रविष्ट हुई है तथा सहखातेदारी में कब्जे का प्रश्न गौढ़ होता है तथा उसका कब्जा नहीं होने बाबत् भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट का उजर सिर्फ वादिया का कब्जा नहीं होने से संबंधित है जो सहखातेदारी के मामले में लागू नहीं होता है, परन्तु वादिया का कब्जा नहीं हो इस बाबत् कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों में मध्य राजस्व रेकार्ड अनुसार विभाजन की जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं प्रथम अपील संख्या 86/2011 सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 87/2011 का प्रश्न है, जो अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, उसमें अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने के लिए अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी, जिससे वे न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके, जिसका लाभ उठाकर वादिया ने पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत कर कीमती जमीन अकेले के नाम करवा ली। तहसीलदार व पटवारी द्वारा भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है तथा विभाजन के समय नियम 18 से 21 की भी पालना नहीं की गयी है।

→ हमारे द्वारा इस द्वितीय अपील के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया गया तो यह पाया कि पर्चा मौका स्वयं तहसीलदार द्वारा मुर्तिब किया गया है तथा पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर तीन हिस्से कायम होकर उनके मकान बना होना एवं दक्षिण की तरफ वादिया रूपली का कब्जा होना वर्णित है। वादिया का मकान खाली पड़ा होना एवं एक वर्ष पूर्व कब्जा अपीलान्ट देवा द्वारा ले लिया जाना वर्णित किया गया है। अपीलान्ट देवा मौके पर मौजूद होकर उसके द्वारा लड़ाई झगड़ा करना व पुत्रियों को अपशब्द कहना व धमकी देने का भी वर्णन है। उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वह स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है तथा अपीलान्ट देवा उपस्थित था, परन्तु बावजूद उपस्थित उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। प्रकरण में हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के मध्य भूमियों का विभाजन करते समय वादिया को 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि, रेस्पोन्डेन्ट नाथू के वारिसान को भी 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि दी गयी है तथा अपीलान्ट देवा को 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अपीलान्ट को सूचित नहीं किया जाना अथवा तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव में भी किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक असंगति नहीं है। अतएवं यह द्वितीय अपील संख्या 87/2011 भी सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–03–2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30–03–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

देवा पिता स्वर्गीय विठला भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) बनाम **श्रीमती रूपली (मृतक) के बजाय श्रीमती तेजा पुत्री खातू जी पत्नी कान्ति भील, नि0 बारी डायलाब, तह0 व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**86 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**03**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**....माह.....**09**.....सन् **2011** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अब्दुल रज्जाक**....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री यशपाल गुप्ता/जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–03–2011 रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....**2011** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

देवा पिता स्वर्गीय विठला भील, निवासी ग्राम घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

श्रीमती रूपली (मृतक) के बजाय श्रीमती तेजा पुत्री खातू जी पत्नी कान्ति भील, नि0 बारी डायलाब, तह0 व जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....**87 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....30**.....माह.....**03**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**....माह.....**09**.....सन् **2011** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अब्दुल रज्जाक**....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री यशपाल गुप्ता/जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30–03–2011 रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....**2011** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।